समक्ष कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित : बी0 राम शास्त्री, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रा0प0सं0:10/13 अन्तर्गत धारा-59 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008

प्रार्थी सर्वश्री कार्तिकेय इण्डस्ट्रीज, सी-33 / बी, पनकी साइड-1, कानपुर।

प्रार्थी की ओर से श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री कार्तिकेय इण्डस्ट्रीज, सी-33 / बी, पनकी साइड-1, कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-10 / 13, दिनांक 20.03.2013 प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

'' ऐसे जूते, चप्पल, शू एवं सैण्डिल जिनका अपर / स्ट्रैप्स कोटेड फैब्रिक्स, कोटेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स, कपड़े निवाड़, लेदर क्लाथ व सिन्थेटिक्स लेदर व रेक्सीन के बने हों और सोल प्लास्टिक का हो एवं रु0 300/- की MRP से कम हो तो उस पर करदेयता क्या होगी ''।

2. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रार्थी-फर्म द्वारा पी0 वी0 सी0 दाना, ईवा दाना, एल0 डी0 दाना, पी0 यू0, पी0 ई0 व अन्य प्लास्टिक दाने में विभिन्न प्रकार के केमिकल मिलाते हुए प्लास्टिक सोल का निर्माण करके, इस पर विभिन्न प्रकार के कोटेड फैब्रिक्स, कोटेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स, कपड़े, निवाड़ व लैदर क्लाथ, सिन्थेटिक लेदर व रेक्सीन के अपर / स्ट्रैप्स को जोड़ करके, पेस्ट करके, चिपका करके या सिलाई करके, जूते व चप्पल का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के फुटवियर प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में नहीं आते हैं, यह other than plastic footwear हैं। इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-52 के अन्तर्गत ''Footwear with maximum retail price of rupees three hundred or less excluding plastic footwear; hawai chappal and straps thereof " के अनुसार करदेयता है। यह भी कहा कि जिन फुटवियर में अपर व लोवर दोनों प्लास्टिक के होते हैं वह प्लास्टिक फुटवियर कहलाते हैं, उन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-83 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता है ऐसे फुटवियर पर नियमानुसार कर जमा किया जाता है।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि प्रार्थी-फर्म द्वारा पी0 वी0 सी0 दाना, ईवा दाना, एल0 डी0 दाना, पी0 यू0, पी0 ई0 तथा अन्य प्लास्टिक दाने में विभिन्न प्रकार के केमिकल मिलाते हुए सोल का निर्माण किया जाता है। अपर कोटेड फैब्रिक, कोटेड टेक्सटाइल्स, फैब्रिक कपड़े, निवाड़ आदि जोड़ करके, पेस्ट करके, चिपका करके व सिलाई करके फुटवियर का निर्माण किया जाता है, को other than plastic footwear की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनका सोल प्लास्टिक दाने द्वारा निर्मित होता है। व्यापारी द्वारा ऐसे जूते व चप्पल पर प्लास्टिक फुटवियर की भाँति 4% की दर से कर जमा किया जा रहा है।

....2

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि फुटवियर पर करदेयता के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-52. '' Footwear with maximum retail price of rupees three hundred or less excluding plastic footwear; hawai chappal and straps thereof., " से स्पष्ट है कि ऐसे फुटवियर जो other than plastic footwear हैं और जिनका Retail price रु0 300/- व उससे कम है, को ही उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत करमुक्त किया गया है । जिनका Retail price रु0 300/- से अधिक है, उन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकत वस्तु की भॉत 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता है । इसी प्रकार '' Plastic footwear;hawai chappal and straps thereof, " पर, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-83 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता प्राविधानित की गयी है ।

सर्वश्री बजरंगबली इन्डस्ट्रीज, 18, गर्वमेन्ट इन्डस्ट्रीयल स्टेट, कालपी रोड, कानपुर के धारा-59 के मामले में कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा पारित, निर्णय दिनांक 28.05.2011 से यह निर्णीत किया जा चुका है कि ऐसे फुटवियर जिनका सोल व अपर दोनों प्लास्टिक का है, वह प्लास्टिक फुटवियर कहलायेंगे और यदि अपर प्लास्टिक के अतिरिक्त अन्य किसी मैटेरियल का बना होगा तो ऐसे जूते व चप्पल प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत नहीं आयेंगे और उन पर करदेयता उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-52 के अनुसार होगी ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या, विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया एवं प्रस्तुत सैम्पुल का अवलोकन किया गया । पाया गया कि कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सर्वश्री बजरंगबली इन्डस्ट्रीज, 18, गर्वमेन्ट इन्डस्ट्रीयल स्टेट, कालपी रोड, कानपुर के, धारा-59 के पारित निर्णय दिनांक 28.05.2011 में, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 के अन्तर्गत ऐसे फुटवियर जिनका सोल व अपर दोनों प्लास्टिक का हो, उनको प्लास्टिक फुटवियर माना गया है । यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अपर प्लास्टिक के अतिरिक्त किसी अन्य मैटेरियल का बना है तो ऐसे जूते व चप्पल प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत नहीं आयेंगे । कमिश्नर, वाणिज्य कर का उक्त निर्णय प्रश्नगत मामले में भी लागू रहेगा । अत: तदनुसार प्लास्टिक मैटेरियल से, भिन्न मैटेरियल से बने, अपर के जूते व चप्पल (हवाई चप्पल व स्ट्रैप्स के अतिरिक्त) होने पर, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-52 के अनुसार Retail price रु0 300/- तक के जूता व चप्पलों पर कोई करदेयता नहीं होगी । Retail price रु0 300/- से ऊपर के जूता व चप्पलों पर, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

.....3

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 26 अप्रैल, 2013

ह0 / 26.04.2013

(बी0 राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।